न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) प्रकरण संख्या– अपील/टीए/5154/2004/नागौर

1– आदुपुरी पुत्र रूपापुरी मृतक जरिए वारिसान–

1/1– देवपुरी पुत्र आदुपुरी

1/2– छेलपुरी पुत्र आदुपुरी

1/3– जगदीशपुरी पुत्र आदुपुरी मृतक जरिए वारिसानः–

1/3/1– संतोष देवी पत्नी जगदीशपुरी

1/3/2– दिनेशपुरी पुत्र जगदीशपुरी

1/3/3– मनफूल पुत्री जगदीशपुरी

1/3/4– नीतू पुत्री जगदीशपुरी

1/3/5– मनीषपुरी पुत्र जगदीशपुरी

1/4– अर्जुनपुरी पुत्र आदुपुरी

1/5– हनुमानपुरी पुत्र आदुपुरी

1/6– शिवपुरी पुत्र आदुपुरी

समस्त जाति गुसाई निवासी ग्राम पंचायत भदाणा तहसील व जिला नागौर।

–अपीलांटस

बनाम

1– कंवराई पत्नी भंवरपुरी पुत्री मोडपुरी जाति गुसाई निवासी बुढ़ी तहसील जिला नागौर।

2– पतासी पत्नी अनोपपुरी मृतक जरिए वारिसानः–

2/1– गीता पुत्री पतासी पत्नी अनोपपुरी

2/2– भीखापुरी पुत्री पतासी पत्नी अनोपपुरी

2/3– मंजु पुत्री पतासी पत्नी अनोपपुरी

2/4– कमली पुत्री पतासी पत्नी अनोपपुरी

समस्त जाति गुंसाई निवासी भदाणा तहसील व जिला नागौर।

3– रामदेवपुरी पुत्र नारायणपुरी

4– प्रभुपुरी पुत्र नारायणपुरी मृतक जरिए वारिसानः–

5— सुखदेवपुरी पुत्र नारायणपुरी

6— शिवपुरी पुत्र नारायणपुरी

7— शंकरपुरी पुत्र नारायणपुरी

8— दिनेशपुरी पुत्र नारायणपुरी नाबालिग जरिए कुदरती वालिया अपनी माता सरलू

9— उमापुरी पुत्री लादूपुरी

समस्त जाति गुंसाई निवासी भदाणा तहसील व जिला नागौर।

10— तुलसीराम पुत्र सूरजाराम मृतक जरिए वारिसान—

10/1— नरेन्द्र पुत्र तुलसीराम

10/2— शैतान पुत्र तुलसीराम

10/3— महेन्द्र पुत्र तुलसीराम

10/4— गीता पुत्री तुलसीराम

10/5— सीता पुत्री तुलसीराम

10/6— मनफूल पुत्री तुलसीराम

समस्त जाति जाट निवासी भदाणा तहसील व जिला नागौर।

11— राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नागौर।

12— अर्जुनराम पुत्र धन्नाराम जाति कुम्हार, निवासी भदाणा तहसील व जिला नागौर।

— रेस्पो0

उपस्थितः—

श्री गौरव दवे, अधिवक्ता अपीलांटस

श्री मदनपुरी गोस्वामी, श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका एवं श्री भींयाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0

(2) <u>प्रकरण संख्या— अपील/टीए/5156/2004/नागौर</u>

1— आदुपुरी पुत्र रूपापुरी मृतक जरिए वारिसान—

1/1— देवपुरी पुत्र आदुपुरी

1/2— छेलपुरी पुत्र आदुपुरी

1/3— जगदीशपुरी पुत्र आदुपुरी मृतक जरिए वारिसानः—

1/3/1— संतोष देवी पत्नी जगदीशपुरी

1/3/2– दिनेशपुरी पुत्र जगदीशपुरी

1/3/3– मनफूल पुत्री जगदीशपुरी

1/3/4– नीतू पुत्री जगदीशपुरी

1/3/5– मनीषपुरी पुत्र जगदीशपुरी

1/4– अर्जुनपुरी पुत्र आदुपुरी

1/5– हनुमानपुरी पुत्र आदुपुरी

1/6– शिवपुरी पुत्र आदुपुरी

समस्त जाति गुसाई निवासी ग्राम पंचायत भदाणा तहसील व जिला नागौर।

–अपीलांटस

बनाम

1– कंवराई पत्नी भंवरपुरी पुत्री मोडपुरी जाति गुसाई निवासी बुढ़ी तहसील जिला नागौर।

2– पतासी पत्नी अनोपपुरी मृतक जरिए वारिसानः–

2/1– गीता पुत्री पतासी पत्नी अनोपपुरी

2/2– भीखापुरी पुत्री पतासी पत्नी अनोपपुरी

2/3– मंजु पुत्री पतासी पत्नी अनोपपुरी

2/4– कमली पुत्री पतासी पत्नी अनोपपुरी

समस्त जाति गुंसाई निवासी भदाणा तहसील व जिला नागौर।

3– रामदेवपुरी पुत्र नारायणपुरी

4– प्रभुपुरी पुत्र नारायणपुरी मृतक जरिए वारिसानः–

5– सुखदेवपुरी पुत्र नारायणपुरी

6– शिवपुरी पुत्र नारायणपुरी

7– शंकरपुरी पुत्र नारायणपुरी

8– दिनेशपुरी पुत्र नारायणपुरी नाबालिग जरिए कुदरती वालिया अपनी माता सरलू

9– उमापुरी पुत्री लादूपुरी

समस्त जाति गुंसाई निवासी भदाणा तहसील व जिला नागौर।

10– तुलसीराम पुत्र सूरजाराम मृतक जरिए वारिसान–

10/1– नरेन्द्र पुत्र तुलसीराम

10/2– शैतान पुत्र तुलसीराम

10/3– महेन्द्र पुत्र तुलसीराम

10/4– गीता पुत्री तुलसीराम

10/5– सीता पुत्री तुलसीराम

10/6– मनफूल पुत्री तुलसीराम

समस्त जाति जाट निवासी भदाणा तहसील व जिला नागौर।

11– राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नागौर।

–रेस्पोडेंटस

उपस्थितः–

श्री गौरव दवे, अधिवक्ता अपीलांटस

श्री मदनपुरी गोस्वामी, श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका एवं श्री भींयाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

निर्णय

दिनांकः– 27.06.2025

अपीलांटस द्वारा यह दो अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या 112/2003 बउनवानी कंवराई बनाम आदुपुरी व अन्य तथा अपील संख्या 113/2003 बउनवानी श्रीमती कंवराई बनाम आदुपुरी में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत पृथक–पृथक प्रस्तुत की गई हैं।

2– दोनों अपीलों में पक्षकार एवं कानूनी बिन्दु समान होने से दोनों प्रकरणों में एक साथ बहस समाहत की जाकर दोनों का निस्तारण एक ही निर्णय के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक संधारित की जावे ।

3– दोनों प्रकरणों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण आदुपुरी ने न्यायालय सहायक कलेक्टर, मु0 नागौर के समक्ष एक वादपत्र संख्या 150/92 आदुपुरी बनाम तहसीलदार, नागौर व अन्य अंतर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि0, 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश किया जिसे विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14.01.2003 के द्वारा वादीगण आदुपुरी का वाद डिक्री

किया । इसी प्रकार वादी मोडुपुरी ने भी न्यायालय सहायक कलेक्टर, मु0 नागौर के समक्ष एक वादपत्र संख्या 181/87 पेश किया जिसे विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23.01.2003 के द्वारा स्वीकार किया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद संख्या 150/92 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.01.2003 के विरूद्ध वर्तमान रेस्पो0 श्रीमती कंवराई व अन्य ने प्रतिवादी/अपीलांटस के विरूद्ध अपील संख्या 112/2003 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष पेश की । इसी प्रकार वाद संख्या 181/97 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.01.2003 के विरूद्ध वर्तमान रेस्पो0 कंवराई व अन्य द्वारा अपील संख्या 113/2003 राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष पेश की गई थी । राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने दोनों अपीलों में एक साथ बहस सुनकर दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय द्वारा दिनांक 14.09.2004 को किया जाकर दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.01.2003 एवं 14.01.2003 निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किये कि निर्णय में दिये गये विवेचन के आधार पर पुनः तनकीयात कायम की जाकर पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत का अवसर देते हुए पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करे। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर दोनों अपीलांटस ने यह पृथक–पृथक दो अपीलें मण्डल के समक्ष पेश की है ।

4– हमनें उपभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

5– अपील संख्या 5154/2004 एवं अपील संख्या 5156/2004 के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव दवे ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । रेस्पो0 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष अपील मियाद बाहर पेश की गई थी। इसके बावजूद अपीलीय न्यायालय ने मियाद के बिन्दु को निर्णित किये बिना ही अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । राजस्व अपील प्राधिकारी, ने अपने निर्णय के पृष्ठ संख्या 5 में यह अंकित किया है कि–''पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं अधी0न्यायालय के निर्णय के उपरांत मैं यह समझतता है कि पत्रावली में महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु निहित है, जिनकी अधीनस्थ न्यायालय ने उपेक्षा की है, अतः मियाद के बिन्दु के तथ्य के अतिरिक्त पत्रावली में मेरिटस पर निर्णय उचित समझता हूं।'' इससे स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायालय को मियाद के बिन्दु पर अपना निष्कर्ष पारित करना था, किन्तु अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में मियाद के बाबत् अपना कोई निष्कर्ष अंकित नहीं किया । जबकि विधिनुसार मियाद बाहर प्रस्तुत अपील में सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक एवं आज्ञापक है।

इसके बावजूद अपीलीय न्यायालय ने मियाद के बिन्दु को निर्णित किये बिना अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है जिसे विधिसम्मत् निर्णय नहीं कहा जा सकता है। अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादीगण ने जिन आधारों पर दादरसी चाही थी उसी अनुरूप वाद डिक्री किया गया है । ऐसी स्थिति में वादीगण स्वंय वाद में पारित निर्णय व डिक्री से परिवेदित नहीं हो सकते है । विचारण न्यायालय ने तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर वाद में तनकीयात कायम नहीं की तो इस संबंध में तहसीलदार ही अपील प्रस्तुत कर आपत्ति कर सकते थे ना कि वादीगण स्वंय । अपीलीय न्यायालय के समक्ष संपूर्ण राजस्व रिकार्ड उपलब्ध था । ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय को प्रकरण को स्वंय गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था ना कि प्रतिप्रेषित। इसके बावजूद अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को रिमाण्ड करने में त्रुटि कारित की है । अतः दोनों अपीलें अपीलांटस स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे ।

6— विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् है । वादी आदुपुरी ने दिनांक 16.07. 1987 को वाद पेश किया । उक्त वाद में मोडपुरी के देहांत होने पर उसके कायम मुकाम की फर्जी तामील करायी जाकर गलत वकालत नामा पेश किया गया था । आदुपुरी ने न्यायालय से मिलीभगती कर डिक्री पारित करवाई है । वाद में केवल मात्र मोडपुरी के अलावा किसी के बयान नहीं है । मोडपुरी के खेतों की खातेदारी आदुपुरी ने करवाली है जो भी गलत है । वाद संख्या 181/87 का निर्णय 16 वर्ष बाद हुआ है । वाद पेश करते समय जो रिकार्ड पेश किया गया था, उस पर भरोसा करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की थी। वाद के विचाराधीन रहते मोडपुरी एवं उसकी पत्नी के नाम खातेदारी आने के बाद उसने वसीयतनामा करवाया जिससे श्रीमती कंवराई व पतासी खातेदार हुए थे । इस कारण राजस्व रिकार्ड में मु0 पतासी आदुपुरी के साथ साथ खसरा नंबर 631, 219 व 517 की खातेदार हो चुकी थी । इसी प्रकार खसरा नंबर 283, 515, 839 की खातेदारी आदुपुरी को गलत दी गई थी । इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलीय न्यायालय ने अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित

किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः दोनों अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया ।

8— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) नागौर द्वारा वाद संख्या 150/92 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.01.2003 के विरूद्ध वर्तमान रेस्पो0 कंवराई व अन्य ने राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष दिनांक 26.06.2003 को मियाद बाहर प्रथम अपील पेश की जिसे अपीलीय न्यायालय ने मियाद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया । इसी प्रकार वर्तमान रेस्पो0 कंवराई व अन्य द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष दिनांक 26.06.2003 को सहायक कलक्टर, नागौर द्वारा वाद संख्या 191/97 में पारित निर्णय दिनांक 23.01. 2003 के विरूद्ध मियाद बाहर अपील पेश की गई जिसे भी अपीलीय न्यायालय ने मियाद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिये। अपीलीय न्यायालय ने उक्त दोनों अपीलों में एक साथ बहस समाहत कर अपने एक ही निर्णय दिनांक 14.09.2004 के द्वारा निर्णित किया है । अपीलीय न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 आदुपुरी द्वारा मुख्य रूप से यह ऐतराज उठाया गया था कि अपील मियाद बाहर है । अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में वादी है, अतः अपील मेन्टेनेबल नहीं है । देरी का कोई स्पष्ट कारण अपील में नहीं किया गया है । अतः अपील खारिज की जावे । अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील मियाद बाहर पेश होने बाबत् तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.09.2004 में मियाद के बिन्दु को निर्णित किये बिना गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है जो विधिक प्रक्रिया के विपरीत है । माननीय मण्डल के समक्ष भी बहस के दौरान अपीलांटस द्वारा मुख्य रूप से यही ऐतराज उठाया गया है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु को निर्णित किये बिना प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है जो विधिविद्ध निर्णय है ।

9— इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक क्रमशः 14.01.2003 एवं निर्णय व डिक्री

दिनांक 23.01.2003 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष दो पृथक–पृथक अपीलें दिनांक 26.06.2003 को पेश की गई थी जो निश्चित रूप से निर्धारित मियाद से बाहर पेश की गई थी जिसकी पुष्टि अपीलीय न्यायालय की आदेशिका दिनांक 26.06.2003 से भी होती है । जब यह तथ्य अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रकट था तो उन्हें पहले धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुनकर मियाद के बिन्दु को निर्णित करना चाहिये था, किन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में मियाद को बिन्दु को निर्णित किये बिना आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना हा सकता है । अपीलीय न्यायालय को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर अपना निर्णय पारित करना चाहिये था और उसके बाद यदि वे मियाद अवधि को क्षमा करते तो बाद में अपील को गुणावगुण के आधार पर तय करना चाहिये था। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित किये बिना गुणावगुण पर अपील का निर्णय करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने रामकली देवी बनाम मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाहबाद व अन्य जे.टी. 1998(8) एस सी 529 में यह अभिनिर्धारित किया है कि –

"Constitution- Article 136-Dismissal of appeal on ground of limitation-High Court considering case on merits- No reasons for condonation of delay. Held that mertits of case can not be looked at without condoning delay. Appeal allowed and matter remanded for fresh decision on all points, including limitation."

10– उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पायी जाती है ।

11– परिणामतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें क्रमशः अपील संख्या 5154/2004 उनवान आदुपुरी व अन्य बनाम कंवराई व अन्य तथा अपील संख्या 5156/2004 उनवान आदुपुरी बनाम कंवराई व अन्य आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.09.2004 निरस्त किया जाता है । प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधि के प्रावधानों के अनुसरण में सर्वप्रथम उनके समक्ष प्रस्तुत मियाद बाहर अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 पर अभिमत विनिश्चय करते हुए प्रकरण का निस्ताराण करावें । अपीलीय न्यायालय को यह भी निर्देश दिये

जाते है कि चूंकि प्रकरण वर्ष 1987 से लंबित है । अतः प्रकरण में दिन–प्रतिदिन की पेशी नियत की जाकर शीघ्र निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करावें ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष